



Neutral Citation-2026: AHC:13544

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – सी संख्या - 327 वर्ष 2026

आशुतोष सिंहयाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: इंद्र कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. नए मामलों की सूची को संशोधित किया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है; यद्यपि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ल उपस्थित हैं।

2. आज जब इस मामले को सुनवाई के लिए लिया गया, तो प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई कि याचिकाकर्ता एक शिकायतकर्ता है और शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत यह याचिका विचारणीय नहीं है।

3. चूंकि याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है, इसलिए यह रिट याचिका अनुपस्थिति के आधार पर खारिज की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

20 जनवरी, 2026

सकलैन

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"